बिहार सरकार

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित 69वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले बिहार राज्य के अधिसूचित अत्यंत पिछड़ा वर्ग के स्थायी निवासी अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना

राज्य सरकार द्वारा लागू की गई चालू योजना के तहत बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित 69वीं (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले बिहार राज्य के अधिसूचित अत्यंत पिछड़ा वर्ग के स्थायी निवासी अभ्यर्थियों को एकमुश्त ₹50,000/–(रूपये पचास हजार) मात्र की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं:–

1. **अभ्यर्थी के लिए अर्हता एवं शर्तें:–**

(i) बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।

(ii) बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि का सदस्य होना चाहिए।

(iii) बी0पी0एस0सी0 द्वारा आयोजित 69वीं संयुक्त (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए।

(iv) किसी भी अभ्यर्थी को इस योजना का लाभ एक ही बार देय होगा।

(v) पूर्व से किसी भी सरकारी/लोक उपक्रम/राज्य सरकार द्वारा वित्त संपोषित संस्थान की सेवा में कार्यरत/नियोजित अभ्यर्थी को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।

2. **आवेदन की प्रक्रिया:–**

(i) विभागीय वेबसाईट–**https://state.bihar.gov.in/bcebcwelfare/CitizenHome.html** पर **Login** कर दिनांक–18/12/2023 तक ऑनलाईन निबंधन एवं आवेदन समर्पित किया जा सकता है। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त आवेदन अमान्य समझे जाएँगें। किसी अन्य माध्यम से कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएँगें एवं ऐसे आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा।

(ii) निबंधन हेतु अभ्यर्थी द्वारा अनिवार्य रूप से फोटो, हस्ताक्षर, एडमिट कार्ड की स्व–अभिप्रमाणित प्रति, जाति प्रमाण–पत्र (सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत), आधार कार्ड, आवासीय प्रमाण–पत्र (सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत),स्वंय के नाम से Aadhar Linked Active बैंक खाता का पासबुक या हस्ताक्षरित रद्द किया हुआ चेक की Scanned प्रति (जिसमें अभ्यर्थी का नाम, बैंक खाता संख्या एवं IFSC कोड स्पष्ट रूप से अंकित हों) ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक होगा।

(iii) अभ्यर्थी के पास सक्रिय ई–मेल आई0डी0 होनी चाहिए। अभ्यर्थियों को आवश्यक सूचना उनके ई–मेल आई0डी0 पर दी जाएगी। अभ्यर्थी अपने ई–मेल को प्रक्रिया पूर्ण होने तक सक्रिय रखेंगे। अद्यतन सूचना के लिए अभ्यर्थी को अपनी ई–मेल नियमित रूप से देखने (चेक करने) की अपेक्षा की जाती है।

(iv) ऑनलाईन माध्यम से आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को वांछित सभी सूचनाएँ सही–सही अंकित करनी होगी। किसी भी तरह की त्रुटि की जिम्मेवारी अभ्यर्थी की होगी।

(v) यदि किसी अभ्यर्थी के द्वारा गलत सूचना देकर इस योजना के तहत अनुमान्य राशि प्राप्त की जाती है तो उसके विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

(vi) अभ्यर्थी द्वारा इस आशय का शपथ पत्र समर्पित करना होगा, जिसमें यह उल्लेख हो कि उनके द्वारा पूर्व में किसी विभाग द्वारा संबंधित योजना का लाभ नहीं लिया गया है।

ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि–18/12/2023

- विस्तृत जानकारी विभागीय बेवसाईट–**https://state.bihar.gov.in/bcebcwelfare/CitizenHome.html** पर देखी जा सकती है।
- विशेष जानकारी के लिए विभागीय दूरभाष संख्या–0612–2215406 पर संपर्क किया जा सकता है।

15/11/23

उप सचिव।

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

D:\Niraj Sir/ advertisement/RK